

23-9-24

23/9

पत्रावली पेश की। वकील अपीलान्त उपस्थित। वकील
 अपीलान्त ने ग्रांपत्र पेश निवेदन किया है कि उक्त अपील
 ग्रांपत्र सं० 7/18 को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा
 इस नामान्तरण सं० 340 दि० 5/10/16 के स्थान पर खोले
 गये नामान्तरण दि० 10/1/14 के विरुद्ध अपील करने
 की हट के साथ विद्वै करने वास्तव पेश किया है। उक्त
 ग्रांपत्र का अवलोकन किया। उक्त उक्त अपील सं०
 07/18 विरुद्ध नामान्तरण सं० 340 दि० 5/10/16 को
 विद्वै करने के कारण प्रकरण को खारिज किया जाता है।
 गार्गीश्री को इस नामान्तरण के स्थान पर खोले गये
 नामान्तरण की अपील पेश करने में स्वतंत्र होंगे। अतः
 मूल अपील ग्रांपत्र खारिज किया जाकर प्रकरण दि०
 शुभार हो कर नम्बर से कम किया जाकर दफ्तर चालू
 है।


